


फर्द अहकाम

नीना बनाम गोपाल

नाम न्यायालय

केस संख्या

28/16/15

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा निरवृत्त रूप से	विशेष विवरण
	10/1/24	<p>वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 31/1/24 को पेश हो।</p>	
	31/1/24	<p>व.क. डिप्टी बहक प्रा.पत्र हेतु का प्रयास पत्रावली के बहक प्रा.पत्र हेतु कयावली के एक सेक्रेटरी द्वारा बहक प्रा.पत्र दिया जात है आगे के पत्र बहक नहीं करके पर. प्रा.पत्र का सुनावण के आचार पर विस्तारण कर दिया गेकि प्रा.पत्र वाक्य बहक प्रा.पत्र हेतु दिनांक 7/2/24 को पेश हो।</p>	
	07/2/24	<p>व.क. डिप्टी बहक प्रा.पत्र हेतु का प्रयास पत्रावली के बहक प्रा.पत्र हेतु कयावली के एक सेक्रेटरी द्वारा बहक प्रा.पत्र दिया जात है आगे के पत्र बहक नहीं करके पर. प्रा.पत्र का सुनावण के आचार पर विस्तारण कर दिया गेकि प्रा.पत्र वाक्य बहक प्रा.पत्र हेतु दिनांक 7/2/24 को पेश हो।</p>	

न्यायालय का प्रमुख (फास्ट ट्रेक) जयपुर

सहायक फास्ट ट्रेक (फास्ट ट्रेक) जयपुर

फर्द अहकाम

निमा इल्फा बनाम वाबुलाज कर्म

नाम न्यायालय

केस संख्या

28/96/2015

वास

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>जबकि वादी का प्रवेश न ही कोकाग्रही को कार्यवाही किया गया है एवं न मुला इस्तावेज प्रतिवादिता के तहत किया जाकर पत्रावली की प्रस्तुत करनेवा का कोर्ट ऑफिस प्रोविड नहीं होता है अतः आर्दी का अपील 011-4 एव अपील - धारा 151 एच पीसी नहीं होने के कारण किता जा ही अभाव ही वादी का वाद में अहित विवादिता मुक्ति शाश्वत प्रवातारी मुक्ति है जिसके अंतर्गत में वादी का द्वारा प्रचल दृष्टता विवादि मुक्ति का विचार लकारण करनेवा के उपरान्त एवला प्रवातारी मुक्ति को ही अभाव प्रिवे-धावा के कारण में अनुत्पी अपील किता जा अभाव है एव वादी का द्वारा मुक्ति पर विवादिता मुक्ति में अभाव प्रयोजनार्थ काम में किता अहित उपरोक्त अपील किता जा अभाव है हेतु में वादी का वाद अहितकार के अभाव में पीपीपी नहीं होने के कारण इसी अंतर पर अहित किता जा अभाव प्रयोजनार्थ अहित अतः वादी का वाद विवादिता मुक्ति के अभाव प्रयोजनार्थ अपील एव अपील</p>

कलक्टर
 महायक
 (हैक)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं

नीना गुप्ता बनाम साकुमाला वर्मा

मुकदमा नम्बर :- 28/196/2015

प्राप्त

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>के कारण इजाजतकार के उन्माव गे तव्वा सामलाली गुप्ता में बच्चा विशेषकर का घर जोषणीक नहीं होने के कारण बच्चे किम्ब जाता है। डिक्ली जायी है। पत्रारण के कारण बच्चा हीनर हुन नम्बर के कम ही लय साक्षिण हुपतर है।</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)</p>	

डिक्री मुकदमा इत्दादाई
(ओं 20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता बीवानी)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी -: रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

श्रीमती नीना गुप्ता पत्नी श्री संजय गुप्ता, जाति महाजन निवासी 4/2786, गली नम्बर 3, बिहारी कॉलोनी, शाहदरा दिल्ली 110032 जरिये मुख्त्यार श्री संजय गुप्ता पुत्र स्व0 श्री एच.एस.गुप्ता, जाति महाजन, निवासी 4/2786, गली नम्बर 3, बिहारी कॉलोनी, शाहदरा दिल्ली 110032

-वादीया

बनाम

1. बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री लालूराम जाति जाट, निवासी 224, निर्मल विहार बैनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।
2. सिरोही गृह निर्माण सहाकारी समिति लिमिटेड जरिये अशोक कुमार मार्फत मंगलम प्रोपर्टीज, बैनाड रोड, नाडी का फाटक, जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:-28/96/15

निर्णय दिनांक:- 07.02.2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रुबरु रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

वाके ग्राम हाडौता, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1837 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1838 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 1839 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1840 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.92 हैक्टेयर भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग एवं उपभोग के कारण क्षेत्राधिकार के अभाव में तथा शामिल भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें
बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 07.02.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0) चौमूँ
(फास्ट जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिये स्टाम्प 4.....रूपये पर प्लीडर कह फीस 5.साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय 6.कमिशनर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	2 1	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 2.अर्जी के लिये स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय 5.कमिशनर की फीस 6.आदेशिका की तामिल	2
जोड	3	जोड	2

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमू (जयपुर)